फोनः 0141–2740609
फैक्सः 0141–2740038

राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक एवं पदेन उप शासन सचिव

स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :–प.6 / 20 / जन / स्टे.मो.गै / 2010–11 / 3469 दिनांक : 23–08–2010

समस्त जिला कलेक्टर,

विषय :–राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर द्वारा समस्त विभागों के नाकारा वाहनों एवं वाहनों के नाकारा सामान की नीलामी दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से 25 सितम्बर, 2010 तक करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोकत विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा समस्त विभागों के नाकारा वाहनों एवं वाहनों के नाकारा टायर्स–ट्यूब, बैट्रीज तथा मोटर पार्टस आदि की नीलामी दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से 25 सितम्बर, 2010 तक कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर में की जावेगी।

अतः समस्त जिलों के राजकीय विभागों से अनुरोध है कि कृपया अपने नाकारा वाहनों एवं वाहनों के नाकारा सामान को 10 सितम्बर, 2010 तक नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर में अवश्य जमा करवा दें। 10 सितम्बर, 2010 के बाद वाहन / सामान जमा करना संभव नही होगा।

नाकारा वाहनों एवं वाहनों के नाकारा सामान को नीलामी द्वारा निस्तारण करने हेतु भिजवाते समय निम्न सूचना एवं पत्रादि आवश्यक रूप से भिजवावें, अन्यथा यह विभाग किसी भी वाहन / सामान को स्वीकार करने में असमर्थ रहेगा।

1– वाहन का मूल / डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मय इंजन व चैसीस नम्बर के इम्प्रेशन सादा कागज पर लिये हुए हो जो कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से मिलान होने चाहिए।
2– वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित जिले के आर.टी.ओ. / डी.टी.ओ. से प्राप्त किया हुआ हो।
3– वाहन नाकारा घोषित करने के आदेश की प्रति।
4– विभाग की आय मद जिसमे नीलामी की राशि जमा करानी है।

नाकारा वाहनों को इस विभाग में सुपुर्द करते समय वाहनों के चारों पहिये हवायुक्त होने चाहिये। पुराने अनुपयोगी टायर / ट्यूब्स, बैट्रीज मोटर पार्टस आदि हो तो उसकी सूची बनाकर नाकारा घोषित किये जाने के आदेश की प्रति के साथ नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर में 10 सितम्बर, 2010 तक अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करावें। 10 सितम्बर, 2010 के पश्चात् यह सुनिश्चित हो ले कि विभाग में अब कोई नाकारा वाहन नहीं बचा है।

इस सम्बन्घ में कृपया अपने जिले के समस्त राजकीय विभागों, नियमों मण्डलों एवं स्वायतशाषी संस्थाओं को निर्देशित करें।

भवदीय,

ह / –

नियन्त्रक एवं पदेन उप शासन सचिव
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक :–लेखा–15( ) / अनु.वा. / सा.पत्रा. / 10 / 5027 दिनांक : 31–08–10

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पूल अधिकारी निदेशालय, चि0 एवं स्वा0 सेवायं, राज0 जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चि0 एवं स्वा0 सेवायं, जोन।
3. समस्त मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

ह / –
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर